



RAEBARELI POLICE



दिनांक 13 जून 2022

थाना सलोन

गैंगेस्टर अधिनियम का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 12 जून 2022 को थाना सलोन पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिरखास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-185/2022 धारा-2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम में वांछित अभियुक्त महबूब आलम पुत्र मोहम्मद हारून निवासी वसंतगंज थाना सलोन रायबरेली को थानाक्षेत्र के बसंतगंज नहर पुल के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

नाम पता अभियुक्त-

महबूब आलम पुत्र मोहम्मद हारून निवासी वसंतगंज थाना सलोन रायबरेली।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त-

- 1-मु0अ0सं0-077/2022 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सलोन रायबरेली।
- 2-मु0अ0सं0-071/2022 धारा-4/25 शस्त्र अधिनियम थाना सलोन रायबरेली।
- 3-मु0अ0सं0-185/2021 धारा-2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम थाना सलोन रायबरेली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उप-निरीक्षक श्री दिलीप कुमार पासवान थाना सलोन रायबरेली।
2. आरक्षी श्री अतुल सिंह थाना सलोन रायबरेली।
3. आरक्षी श्री लक्ष्मीकान्त यादव थाना सलोन रायबरेली।

